संख्याः–जी0आई0:–1882 /7–1–2009–600(2028)/2007

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 27, जनवरी, 2009.

विषयः– जनपद–बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–7) के अन्तर्गत अल्मोड़ा–ग्वालदमः मोटर मार्ग के कि.मी. 82 से ह्वीलकुलवान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4187 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 1789/1जी–2110 (बागे0) दिनांक 20–01–2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–7) के अन्तर्गत अल्मोड़ा–ग्वालदम मोटर मार्ग के कि.मी. 82 से ह्वीलकुलवान मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.4187 हे0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/273/2007/एफ.सी./1166 दिनांक 16–01–2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैं :–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 8.90 हे0 अवनत सिविल एवं सोयम वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा। प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण सिविल एवं सोयम वन भूमि पर प्रस्तावित नहीं किया गया है, अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि चयनित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना शासनादेश निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
3. राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–V-06/XVIII(I)/2009 दिनांक 09–01–2009 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम वन भूमि को वैज्ञानिक प्रबन्धन की दृष्टि से वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति की शर्त संख्या–2 में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि उक्त सिविल भूमि का प्रशासनिक नियंत्रण छः माह के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा व यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को हस्तान्तरण नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार की उक्त शर्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि को राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित किया जायेगा व इसकी सूचना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।

4. ग्राम्य विकास विभाग उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं ग्राम्य विकास विभाग पर बाध्यकारी होगा, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा देय होगा।
6. उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि ग्राम्य विकास विभाग को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि ग्राम्य विकास विभाग को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो ग्राम्य विकास विभाग के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
7. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
8. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
9. ग्राम्य विकास विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगने अवनत वनभूमि अर्थात 8.90 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं रख–रखाव किया जायेगा।
10. वन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के व्यय पर प्रस्तावित मार्ग के आस–पास पड़े रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रख–रखाव किया जायेगा।
11. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
12. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा और उसका निस्तारण सम्बन्धित ग्रामों की स्थानीय जनता के हक–हकूक के दृष्टिगत किया जायेगा।
14. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा सड़क निर्माण में स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
15. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की भूमि से सड़क निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
16. प्रयोक्ता एजेन्सी से एकत्रित एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेन्सी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
17. प्रस्तावित मार्ग के निर्माण में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।
18. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping Sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल का पुनर्वास/पुनर्स्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 614/वि.अनु. 3/2002 दिनांक 13–11–2002 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्याः–जी0आई0– 1882 /7–1–2009–600(2028)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), केन्द्रीय भवन, सेक्टर–एच पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. नोडल अधिकारी, (पी0एम0जी0एस0वाई0), उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, देहरादून।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर

Phone/Fax.No:- 05963-220006 Email ID:-pdpwdbgr@yahoo.in

पत्रांक 171 / 28-ला / दिनांक 01 / 02 / 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में ह्वील कुलवान मोटर मार्ग से सैकुड़ा ग्वालदम नाग लिंक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित हाने वाली वन भमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (12810/2015)

संदर्भ– नोडल अधिकारी द्वारा लगाई गई आपत्ति दिनांक 14.12.2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उपरोक्त मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव की हार्ड कापी एवं प्रस्ताव अपलोड की सी0डी0 पहले ही आपके कार्यालय को प्रेषित की गई है। भारत सरकार द्वारा अभिलेख हेतु हार्ड कापी मॉगी गई है।

अतः प्रस्ताव की हार्ड कापी की सत्यापित प्रतिलिपि इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्ताव की हार्ड कापी अपने स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न–प्रस्ताव की प्रति।

भवदीय,

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0 विभाग,
बागेश्वर।

3/2/16

सम्प्रेक्षक
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
इन्दिरा नगर, फौरेस्ट कालोनी
वन विभाग, (उत्तराखण्ड)
देहरादून